सं.ई-13011/10/2020-ति.प्र.रि./हिंदी/*10-40*

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग केंद्रीय जल आयोग (हिंदी अनुभाग)

तृतीय तल, नवीन पुस्तकालय भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली -110066 दिनांक: *30* सितंबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 30 सितम्बर 2024 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर समय पर भिजवाने के संबंध में।

कृपया 30 सितम्बर 2024 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भाग-। सही-सही भरकर हिंदी अनुभाग को 11 अक्तूबर, 2024 तक hindisec-cwc@gov.in पर अवश्य भिजवा दी जाए ताकि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संकलित कर समय पर मंत्रालय को भिजवाई जा सके।

2. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों को द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाए। साथ ही राजभाषा नियम-5 का अनुपालन करते हुए हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाए और तत्संबंधी आंकड़े भरते समय कृपया ध्यान रखा जाए।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

(ए.सी.मल्लिक)

निदेशक एवं राजभाषा प्रभारी

दूरभाष: 011-29583459,

ई मेल: hindisec-cwc@gov.in

- 1. निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय / जल आयोजन एवं परियोजना/ अभिकल्प एवं अनुसंधान निदेशालय केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 2. सभी अवर सचिव/ अनुभाग अधिकारी/ केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- 1. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
- 2. सभी सदस्य, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
- 3. मुख्य अभियंता, मानव संसाधन प्रबंध के प्रधान निजी सचिव।